## संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में अग्रणी राजस्थान

**राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पात्र लोगों को सशक्त किया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से गरीब, मजदूर, बुजुर्ग, युवा, महिला, विद्यार्थी, दिव्यांगजन समेत सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। वंचित वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम होकर आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।**

# राजस्थान का सामाजिक सुरक्षा मॉडल बना पूरे देश के लिए उदाहरण, हर वर्ग के वंचितों को मिल रहा संबल

**राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए हर पात्र व्यक्ति को विभिन्न योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाया है।**

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा समाज के वंचित, असहाय सहित सभी जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कई तरह की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों आदि का ख्याल रखते हुए 93.50 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। वहीं, 'कोई भी भूखा नहीं सोए, के संकल्प के साथ प्रदेशभर में 992 इंदिरा रसोइयों में जरूरतमंदों को पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने के राशन के साथ फूड पैकेट भी शीघ्र दिए जाएंगे। दूसरी ओर, जरूरतमंद बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए राज्य सरकार पालनहार योजना के माध्यम से अनाथ एवं अन्य पात्र बच्चों को प्रतिमाह 500 से 2500 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं के विवाह में सरकार 51 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता दे रही है। शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में पात्र परिवारों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने शहरों में 125 दिन का रोजगार देने के वादे के साथ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। तो वहीं मनरेगा में राज्य सरकार द्वारा 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है। विद्यार्थियों को संबल देते हुए राज्य सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना में लाभान्वित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दोगुना कर दिया है। काली बाई भील एवं देव नारायण योजना में मेधावी छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटी की संख्या भी बढ़ा दी गई है। उधर, सिलिकोसिस पीड़ितों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित कर राहत दी जा रही है।

### राजस्थान सरकार ने इस तरह सुनिश्चित की सामाजिक सुरक्षा

**नई योजनाएं पेश कीं | योजनाओं की राशि बढ़ाई | योजनाओं का दायरा बढ़ाया**

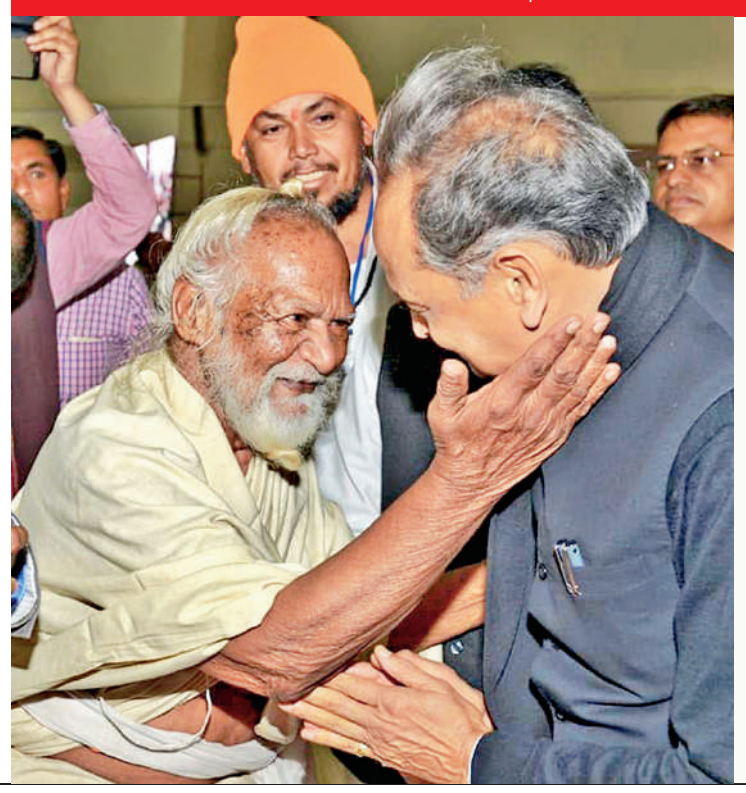

- **सामाजिक सुरक्षा पेंशनः** 93.50 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
- **पालनहार योजनाः** ₹2662 करोड़ व्यय कर लगभग 6 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए।
- **इंदिरा रसोई योजनाः** अब तक ₹13.60 करोड़ से अधिक भोजन थाली उपलब्ध कराई।
- **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनाः** अब तक 3 लाख 17 हजार जॉब कार्ड जारी किए गए।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारः** मनरेगा में राजस्थान सरकार द्वारा 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा।
- **राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019:** अब तक ₹768.54 करोड़ की सहायता राशि जारी की गई।
- **मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः** अब तक 54,371 लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की गई।
- **उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनाः** अब तक पात्र 26 लाख विद्यार्थियों को ₹3100 करोड़ की सहायता दी गई।
- **अनुप्रति कोचिंग योजनाः** लाभान्वित किए जाने वाले पात्र विद्यार्थियों की संख्या 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार की गई।
- **काली बाई भील एवं देव नारायण योजनाः** मेधावी छात्राओं के लिए प्रतिवर्ष स्कूटी की संख्या अब 30 हजार।
- **इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजनाः** 2.37 लाख आवेदकों को ₹662 करोड़ का ऋण वितरित किया गया।
- **छात्रावासों का निर्माणः** पात्र विद्यार्थियों के लिए 59 छात्रावासों का निर्माण करवाया गया।

*(वर्तमान सरकार के कार्यकाल में)*

**सरकार का ध्येय है प्रदेश में हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिले...**

*हमारी सरकार समाज के वंचित, असहाय, निराश्रित सहित सभी जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराने के लिए कृत संकल्पित है। हम प्रदेशवासियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रहे हैं। सरकार का ध्येय है- प्रदेश में हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिले। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के प्रति गंभीरता दिखाते हुए हर पात्र व्यक्ति को विभिन्न योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना आदि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं है। इससे जरूरतमंदों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।*

**- अशोक गहलोत,** मुख्यमंत्री, राजस्थान

---

**लाभार्थी को डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी देने की कवायद**

### पालनहार योजना के लिए मोबाइल एप लांच

**राजस्थान** सरकार ने पालनहार योजना के लाभार्थियों के चेहरे की पहचान पर आधारित सत्यापन के लिए मोबाइल एप सुविधा शुरू की है। हाल ही में सरकार ने इस नए मोबाइल एप की शुरुआत की। इस एप के जरिए वार्षिक सत्यापन अथवा नवीनीकरण प्रक्रिया सुलभ, सरल एवं त्वरित हो सकेगी। पालनहार के लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन एवं बच्चों का आंगनबाडी केंद्रों में पंजीकरण अथवा विद्यालय में अध्ययनरत होने पर शैक्षणिक नवीनीकरण भी किया जा सकेगा। साथ ही, राज्य सरकार की लाभार्थियों तक पहुंच सुलभ, सरल और त्वरित हो सकेगी।

**सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम**

### महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना

**राज्य** सरकार प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना लागू करने की घोषणा की है।

योजना के तहत नागरिकों को रोजगार की मिनिमम गारंटी मिलेगी। प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को 125 दिवस प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी होगी। यदि लाभार्थी परिवार को काम नहीं मिल पाता है तो प्रत्येक ऐसे परिवार को 1000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के सभी जरूरतमंद परिवारों के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

**पालनहार योजना..** छह लाख से अधिक बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार का कदम

# सरकार बनी 'पालनहार'

प्रदेश में अनाथ एवं देखरेख और संरक्षण की श्रेणी में आने वाले बालक और बालिकाओं की परिवार के अंदर ही समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पालनहार योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत इन बच्चों का पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति को बच्चों की शिक्षा, खाने-पीने और कपड़ों की व्यवस्था के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा योजना पर 2,662 करोड़ रुपए खर्च कर लगभग 6 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दौरान 5.91 लाख से अधिक पालनहार लाभार्थियों के बैंक खातों में 146.74 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित किए। **इसमें जून माह के 59.38 करोड़ रुपए 5,92,630 लाभार्थियों को और जुलाई माह के 87.36 करोड़ रुपए 5,91,730 लाभार्थियों को सहायता राशि दी।**

### संवेदनशील सरकार ने सहायता राशि बढ़ाई

### सरकार हर जरूरतमंद बच्चे की पालनहार

**योजना के तहत लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियां**

- अनाथ बच्चे
- मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के बच्चे
- पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे
- पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
- पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिला के बच्चे
- एचआईवी/एड्स से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
- नाता जाने वाली माता के बच्चे
- विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे
- सिलिकोसिस पीड़ित माता/पिता के बच्चे

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने 0-6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि को ₹500 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹1,500 कर दिया है। वहीं, 6-18 आयु वर्ग तक के अनाथ बच्चों के लिए हर महीने ₹1000 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रतिमाह दिए जा रहे हैं।
- अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0-6 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए ₹500 के स्थान पर ₹750 प्रतिमाह और 6-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए ₹1,000 के स्थान पर ₹1,500 प्रतिमाह बढ़ी हुई सहायता राशि दी जा रही है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2023 से लागू हो गई है। साथ ही, कपड़े, स्वेटर, जूते आदि के लिए हर वर्ष ₹2000 अतिरिक्त सहायता मिलती है (विधवा और नाता श्रेणी को छोड़कर)।
- इस योजना का लाभ पाने के लिए बच्चों का आंगनबाड़ी या विद्यालय जाना आवश्यक है।

**सहायता राशि बढ़ाने से लगभग ₹300 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।**

---

**राज्य सरकार ने बढ़ाया रियायत का दायरा**

# महिलाओं को अब रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50% की छूट

**अभी तक केवल रोडवेज की साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर ही महिलाओं एवं बालिकाओं को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी।**

राजस्थान सरकार ने रोडवेज की बसों में सफर करने पर महिलाओं के लिए रियायत का दायरा बढ़ाया है। राज्य की सीमा में अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं एवं बालिकाओं को 50 प्रतिशत की रियायत दी गई है।

निगम की सभी श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं एवं बालिकाओं का आधा किराया ही लगेगा। अभी केवल साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर ही महिलाओं एवं बालिकाओं को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में रोडवेज की साधारण बसों में यात्रा करने पर महिलाओं को किराए में दी जा रही छूट को 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। यह घोषणा 1 अप्रैल, 2023 से क्रियान्वित भी की जा रही थी। इसके बाद 25 मई, 2023 को जयपुर के सिंधी कैम्प स्थित नवीन बस टर्मिनल के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने इस रियायत को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अपनी इस घोषणा के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति भी प्रदान कर दी।

*पढ़ाई के लिए जयपुर में रह रही हूं। अब घर आने-जाने के लिए बस किराए में काफी राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के हित में लिए गए इस निर्णय से बचत होगी।*

**-खुशी शर्मा, भरतपुर**

*राज्य सरकार की महिलाओं को संबल देने के लिए कई बेहतर योजनाएं संचालित हैं। किराए में 50% छूट भी इसका एक और अच्छा उदारहण है। इसके लिए राजस्थान सरकार का धन्यवाद।*

**- ममता शर्मा, दौसा**

---

**खुशनुमा चेहरे:** राजस्थान सरकार के निरंतर प्रयासों से पूरे प्रदेश में जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद मिल रही है, साथ ही उनके चेहरों पर मुस्कान लौट रही है...

# सम्मानपूर्वक जीवनयापन का साधन बनीं सरकार की योजनाएं

### पालनहार से मुस्कुराया भाई-बहन का बचपन

धैर्य शाक्य और कामाक्षी शाक्य
-उदयपुर जिला

उदयपुर जिले के रहने वाले धैर्य शाक्य और उनकी बहन कामाक्षी शाक्य को छोटी उम्र में ही इतना कुछ देखने को मिलेगा कोई नहीं जानता था। 9 साल से लकवे से ग्रसित मां को खोने के सदमे से दोनों उभरे भी नहीं थे कि कोरोना महामारी से 2021 में सिर से पिता का साया भी छिन गया। ऐसे वक्त में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना मददगार बनकर आई।

बच्चों की बुआ के बेटे कमलेश योजना के तहत बच्चों के पालनहार बने। दोनों बच्चों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पिता की मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई जिसकी कमलेश ने बच्चों के नाम एफडी बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया। इसके अतिरिक्त हर माह बच्चों के लालन-पालन के लिए पालनहार के तहत आर्थिक सहायता मिल रही है।

### शादी के खर्च की चिंता से हुए मुक्त

कैलाश की बिटिया रीना की शादी
-सांभरलेक

हर मां-बाप की दिली ख्वाहिश होती है कि उनकी लाड़ो का ब्याह अच्छे से हो, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी इसमें बाधक बन जाती है। निर्धन माता-पिता बिटिया की शादी के लिए कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहारा बन गई है। जयपुर के सांभरलेक निवासी कैलाश चन्द्र बरड़ मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। जब बेटी के हाथ पीले करने की बात आई तो उन्हें चिंता सताने लगी। बेटी के कन्यादान के लिए पैसा कर्ज से जुटाने की मजबूरी सामने आ गई। ऐसे में एक निकट परिचित ने उन्हें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में बताया।

आवेदन करने के महज 7 दिन में ही 41 हजार रुपए की सहायता राशि उनके खाते में सरकार द्वारा ऑनलाइन जमा कर दी गई। कैलाश ने अपनी बिटिया रीना की शादी जयपुर के प्रताप सिंह के साथ धूमधाम से की।

### डॉक्टर बनने की राह हुई आसान

जया कुमारी रोत
-डूंगरपुर

डूंगरपुर के आदिवासी परिवार की जया कुमारी रोत बचपन से पढ़ने में होशियार थीं। 10वीं में 90.50 प्रतिशत अंक आने पर 11वीं में विज्ञान विषय चुना और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत नीट की तैयारी हेतु आवेदन किया। उनका चयन उदयपुर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में हुआ। तब से जया उदयपुर के टीआरआई परिसर स्थित जनजाति छात्रावास में निवास कर कोचिंग कर रही हैं।

कोचिंग का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उठा रही है जिससे जया के लिए डॉक्टर बनने की राह आसान हुई है। वे कहती हैं कि उनके गांव में कई लोग अनपढ़ हैं जिन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिली। कई लोग 12वीं तक पढ़ाई करके काम धंधा करने लग गए। लेकिन अब वे डॉक्टर बनकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करना चाहती हैं।

**▪ स्पेशल इनिशिएटिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग**

## नागरिकों की देखभाल करना सरकार का कर्तव्य

*कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत अपने नागरिकों की देखभाल करना सरकार का कर्तव्य है। राजस्थान सरकार बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों सहित अलग-अलग श्रेणियों में करीब एक करोड़ लोगों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है। सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को भी जरूरतमंद को राहत देनी चाहिए। वर्तमान में केंद्र सरकार सिर्फ चुनिंदा लोगों को महज 200 रुपए की पेंशन देती है, यह न्यायोचित नहीं है। जरूरतमंदों को 2 से 3 हजार रुपए प्रति महीना पेंशन दी जानी चाहिए।*

**-अशोक गहलोत,** मुख्यमंत्री, राजस्थान

### राजस्थान में सम्मान एवं संवेदनशीलता का एक और बड़ा कदम

# राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब न्यूनतम 1000 रुपए, हर साल होगी 15% की स्वतः वृद्धि

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई वाली राजस्थान सरकार ने जनकल्याण के लिए एक और संवेदनशील कदम उठाते हुए सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में अब 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाकर कम से कम 1000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी। बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मई 2023 (1 जून को देय) से मिलना शुरू हो गया है। पूर्व में 500-750 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि दी जाती थी।

राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत किसान कृषक सम्मान पेंशन योजना संचालित की जाती हैं। वर्तमान में प्रदेश में 93.50 लाख लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशन दरों में वृद्धि से अब राज्य सरकार प्रतिमाह 185 करोड़ रुपए और प्रतिवर्ष 2222.70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करेगी। पहले प्रतिमाह लगभग 700 करोड़ रुपए व्यय होता था। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दिसंबर 2018 से जून, 2023 तक 93.91 लाख पेंशनर्स को विभिन्न पेंशन योजनान्तर्गत 37 हजार 321 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है।

### स्वतः वृद्धि का निर्णय इसलिए लिया

दरअसल, वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में 6 सालों के बाद पेंशन वृद्धि की थी। लंबे समय तक पेंशन राशि नहीं बढ़ने के कारण पेंशनर्स को होने वाली समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि किए जाने के प्रावधान की भी घोषणा बजट 2023-24 में की।

**93.50 लाख है सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की संख्या**

### मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

- **लाभार्थी:** प्रदेश में विशेष योग्यजन व्यक्तियों को योजना के जरिए पेंशन का प्रावधान।
- **वर्तमान सरकार ने ₹2504.43 करोड़ व्यय कर 6.27 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया।**

### मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना

- **लाभार्थी:** लघु एवं सीमांत श्रेणी के वृद्ध किसानों को पेंशन का प्रावधान।
- **वर्तमान सरकार द्वारा ₹1013.09 करोड़ व्यय कर 2.46 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया।**

**37 लाख से अधिक नए पेंशनर्स जोड़े गए हैं वर्तमान सरकार के कार्यकाल में**

### मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

- **लाभार्थी:** 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा को पेंशन का प्रावधान।
- **वर्तमान सरकार ने ₹9362.62 करोड़ व्यय कर 18.35 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया।**

### मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

- **लाभार्थी:** 55 वर्ष से अधिक की महिला एवं 58 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को पेंशन का प्रावधान।
- **वर्तमान सरकार ने ₹22711.19 करोड़ व्यय कर 53.75 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया।**

**नहीं काटने पड़ रहे ऑफिस के चक्कर**

# मोबाइल एप द्वारा घर बैठे हो रहा पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन

राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए मोबाइल एप शुरू किया है। यह सुविधा फरवरी, 2023 से प्रारंभ की गई। इसके द्वारा आधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा का प्रयोग करते हुए फेस रिकाग्निशन तकनीक के माध्यम से पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इससे अब पेंशनर घर बैठे ही स्वयं का वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। 7 जुलाई, 2023 तक 1.40 लाख पेंशनर्स इस एप के माध्यम से स्वयं का सत्यापन करवा चुके हैं। इससे पहले वर्ष 2021 से पेंशन का ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल करते हुए बिना मानवीय हस्तक्षेप के केवल जनआधार संख्या अंकित करने एवं आवेदक के आधार पोर्टल से बॉयोमैट्रिक के माध्यम से सत्यापन होने के उपरान्त पेंशन की स्वीकृति स्वतः जारी हो जाती है एवं भुगतान प्रारम्भ हो जाता है। इसके लिए आवेदक को किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः स्वीकृति जारी करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है।

### भुगतान प्रक्रिया में सरलीकरण

विभिन्न कोष कार्यालयों के स्थान पर भुगतान प्रक्रिया को सरल करते हुए केंद्रीयकृत रूप से सामाजिक न्याय निदेशालय के स्तर से सभी पेंशनर्स को प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। इससे भुगतान प्रक्रिया सुदृढ़ हुई है और भुगतान समय पर एवं नियमित रूप से हो रहा है।

**सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना**

# इंटरकास्ट मैरिज पर ₹5 लाख की जगह अब मिल रहे ₹10 लाख

राजस्थान में इंटरकास्ट मैरिज पर अब सरकार 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए की सहायता राशि दे रही है। सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत युवक या युवती में से किसी एक का एससी वर्ग से होना जरूरी है। इस राशि में से 5 लाख रुपए 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपोजिट कराए जाते हैं। जबकि शेष 5 लाख रुपए दूल्हा-दुल्हन का एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनाकर जमा कराए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। योजना के तहत 87.5 फीसदी राशि राज्य सरकार व 12.5 फीसदी राशि केंद्र सरकार वहन करती है।

### सामाजिक सदभाव को बढ़ावा

डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना चलाकर सामाजिक सदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2006 में जब योजना शुरू हुई थी, तब 50 हजार रुपए की राशि दी जाती थी। 2013 में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था। वर्ष 2023 में फिर योजना के तहत राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। योजना के तहत अनुसूचित जाति व स्वर्ण हिन्दू युवक-युवती के विवाह पर इस योजना का लाभ मिलता है। बशर्ते जोड़े का बालिग होने के साथ जाति, मूल, आयु प्रमाण-पत्र के साथ विवाह का पंजीकरण होना आवश्यक है।

**मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत**

# अब बेटी की शादी के खर्च की चिंता नहीं, राज्य सरकार दे रही 51 हजार रुपए तक की मदद

हर माता-पिता का सपना होता है कि अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में विदाकर उसे सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दें। लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति वाले माता-पिता के लिए यह सपना पूरा कर पाना आसान नहीं होता। ऐसे अभिभावकों के इस सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आई है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित की जा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपए की सहायता दी जाती है। शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभान्वित कन्याओं के विवाह पर तथा महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपए सहायता दी जा रही है। इन सभी वर्गों की कन्या के 10वीं पास होने पर 10,000 रुपए एवं स्नातक पास होने पर 20,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाती है।

**बाल विवाह रोकने में भी कारगर**

प्रदेश के नागरिकों को अपनी कन्या के विवाह के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राजस्थान सरकार उनको आर्थिक सहायता मुहैया करवा रही है। यह योजना बाल विवाह को रोकने में भी कारगर साबित हो रही है क्योंकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बेटियों को प्रदान किया जाता है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है। इस योजना के लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

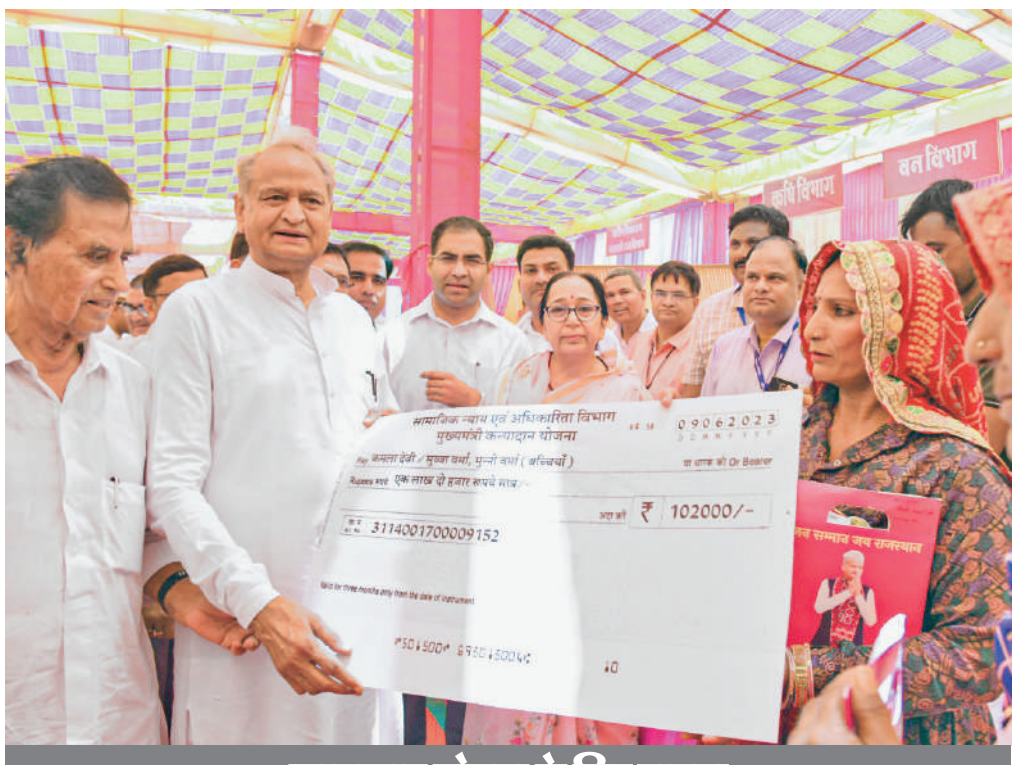


**कन्यादान योजना के लिए पात्रता**

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवार
- अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार, शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार
- विशेष योग्यजन व्यक्ति (आयकर दाता नहीं हो)
- महिला खिलाड़ी (स्वयं का विवाह होने पर) जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड रखती है।

- स्वयं अथवा माता-पिता आयकर दाता नहीं हों
- अन्त्योदय, आस्था कार्ड धारी परिवार
- पालनहार योजना में लाभान्वित एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला
- एक परिवार में अधिकतम दो कन्याओं को लाभ देय
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए।

## राजस्थान राज्य स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का किया गठन

**राजस्थान** सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोर्ड गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसका मुख्यालय जयपुर में होगा। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा।

### बोर्ड के कार्य यह होंगे

स्वर्ण एवं रजत कला समाज की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति, समाज की आर्थिक अभिवृद्धि, रोजगार बढ़ाने के उपाय, समाज के विकास एवं कल्याण से संबंधित योजनाओं के प्रारूप, समाज की कला एवं कारीगरी को बढ़ावा देने के कार्य तथा सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध उपायों को अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित करने जैसे प्रमुख कार्य हैं। यह बोर्ड समाज के परंपरागत व्यवसायों को नवीन तकनीक से लाभदायक स्थिति में लाने के सुझाव भी देगा।

## मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना पर हो रहा काम

**राज्य** सरकार द्वारा बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार पुनर्वास गृह निर्मित किए जाने हैं।

24 पुनर्वास गृहों का संचालन शुरू कर दिया गया है। 39 पुनर्वास गृह का निर्माण शुरू हो चुका है। 44 कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। दूसरी ओर, कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने की सुविधा हेतु संभाग मुख्यालयों पर 100 एवं जिला मुख्यालयों पर 50 महिलाओं के लिए 'इंदिरा गांधी वर्किंग वुमन होस्टल्स' बनाए जाने की भी योजना है।

**सामूहिक विवाह • इन आयोजनों से राजस्थान में अनेकता में एकता की भावना हो रही साकार**

# मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना में मिल रहा प्रति जोड़ा कुल 25 हजार रुपए का अनुदान

राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना-2021 के तहत अनुदान राशि प्रति जोड़ा कुल 25 हजार रुपए कर दी गई है। इसमें से विवाह आयोजन के दिन आईएफएमएस के माध्यम से 14 हजार रुपए का हस्तांतरण दुल्हन के खाते में और 4 हजार रुपए का हस्तांतरण संस्था को किया जाता है।

विवाह होने के 60 दिन के बाद विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज (यदि कोई बकाया हो) ऑनलाइन प्रस्तुत करने पर आईएफएमएस के माध्यम से शेष राशि 7 हजार रुपए का हस्तांतरण दुल्हन के खाते में किया जाता है। इस तरह 25 हजार रुपए की अनुदान राशि में से 21 हजार रुपए का हस्तांतरण दुल्हन के खाते में किया जाता है और 4 हजार रुपए का हस्तांतरण संस्था को किया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना-2021 के तहत सामूहिक विवाह आयोजन में कम से कम 25 जोड़ों के विवाह का आयोजन करने पर आयोजकों को 10 लाख रुपए प्रति सामूहिक विवाह आयोजन हेतु अतिरिक्त सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना से विभिन्न समाज, जाति व धर्म के परिवार सम्मिलित होकर अनेकता में एकता की भावना को साकार कर रहे हैं। इसके साथ ही इस योजना का उद्देश्य विवाहों में होने वाले अपव्यय को कम और बाल विवाह को रोकना है। विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 होनी चाहिए। वर या वधू में से कोई एक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। योजना में अनुदान हेतु वे ही मान्य होंगे जिनका नियमानुसार विवाह पंजीयन करवा लिया गया हो।

**वर्ष 2023-24 • 40 हजार वृद्धजनों को यात्रा कराने का लक्ष्य**

# वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 44 करोड़ का अतिरिक्त बजट

राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने के लिए संकल्पित है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40 हजार वृद्धजनों को यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस लक्ष्य के मद्देनजर 44 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी है। योजना के तहत पहले 46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अब यात्रियों की संख्या बढ़ने से 44 करोड़ रुपए और दिए गए हैं। इस स्वीकृति से यात्रियों को हवाई और रेल के जरिए विभिन्न तीर्थ स्थलों पर यात्रा कराई जाएगी।

योजना की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी। अब तक 1.20 लाख से अधिक यात्रियों को दर्शन कराया जा चुका है। इस वर्ष 14 जून को जयपुर और कोटा से रामेश्वरम-मदुरई के लिए यात्रियों की ट्रेन को रवाना किया गया था। यात्रा एवं आवास-प्रवास, भोजन इत्यादि का समस्त खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

▪ स्पेशल इनिशिएटिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

## इंदिरा रसोई योजना: मात्र 8 रुपए में सम्मानपूर्वक बैठाकर स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन

**प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर भोजन एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इंदिरा रसोई योजना इन वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है...**

# राजस्थान सरकार का संकल्प 'कोई भूखा नहीं सोए'

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संकल्प 'कोई भूखा नहीं सोए' को साकार करते हुए राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंदों के लिए इंदिरा रसोई योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत इंदिरा रसोइयों में लाभार्थी को 8 रुपए में शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन सम्मानपूर्वक उपलब्ध कराया जाता है। योजना की शुरुआत 20 अगस्त, 2020 को प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से की गई थी। योजना का नाम देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। राज्य सरकार द्वारा पहले 12 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा था जिसे वर्ष 2022 में बढ़ाकर 17 रुपए प्रति थाली कर दिया गया। प्रदेशभर में संचालित 992 इंदिरा रसोई के माध्यम से अब तक 13.60 करोड़ से अधिक भोजन थाली उपलब्ध कराई गई हैं।

भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं आचार शामिल है। इंदिरा रसोई योजना की लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में योजना का विस्तार ग्रामीण कस्बों में भी करने की घोषणा की। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक हजार रसोइयां खोला जाना प्रस्तावित है। यह राज्य सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम है कि इंदिरा रसोई योजना प्रदेश भर में गरीब, मजदूर, बुजुर्गों एवं सरकारी हॉस्पिटल, कृषि मंडियों में आने वाले किसानों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड पर यात्रियों तथा प्रदेश के सभी नगर निकायों में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

### अब ग्रामीण कस्बों में भी होगा विस्तार

बजट घोषणा के अनुसार, शहरों के बाद अब एक हजार गांवों में इंदिरा रसोई खोली जाएंगी। रसोई का संचालन गांव या कस्बे की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए होगा। प्रदेश के कुल 901 ग्रामीण कस्बों में नई इंदिरा रसोई खोली जाएंगी। इसमें 5 से 10 हजार की जनसंख्या वाले कस्बे में एक, 10 से 20 हजार की जनसंख्या वाले कस्बे में 2 और 20 हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले कस्बे में 3 रसोई खोली जाएंगी।

**शहरों में खुली रसोई की तर्ज पर ही गांवों में भी रसोई के लिए सरकार जगह या जमीन फ्री उपलब्ध करवाएगी।**

▪ **इंदिरा रसोई पर मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान:** मुख्यमंत्री ने कई बार स्वयं भी जगह-जगह इन रसोइयों में जाकर परोसे जा रहे भोजन का आनंद लिया और वहां भोजन कर रहे लोगों से भी खाने की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली।

### इंदिरा रसोई योजना की विशेषताएं

- लाभार्थी को 8 रुपए में शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन।
- सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन व्यवस्था।
- राज्य सरकार द्वारा 17 रुपए प्रति थाली अनुदान।
- योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च।
- प्रतिदिन 2.45 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 9.25 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य। आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है।
- सामान्यतः दोपहर का भोजन प्रातः 8:30 बजे से मध्यान्ह 3:00 बजे तक एवं रात्रिकालीन भोजन सांयकाल 5:00 बजे से 9:00 बजे तक उपलब्ध।
- भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं आचार शामिल।
- गुणवत्ता की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिला एवं नगर निकायों के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों को हर महीने इंदिरा रसोई में जाकर खाने का निरीक्षण करने और लोगों के साथ बैठकर खाना खाने के निर्देश दिए हैं।

### राजस्थान की योजनाओं की तारीफ सब जगह हो रही है

*▮ हमारी सरकार प्रदेश के हर वर्ग और व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए संकल्पित है। इसके लिए राज्य सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा मॉडल की सभी जगह तारीफ हो रही है। राजस्थान की योजनाएं दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण हैं।*

**-अशोक गहलोत,** मुख्यमंत्री, राजस्थान

### 4 साल में हुआ 59 छात्रावासों का निर्माण

राजस्थान सरकार प्रदेश के पात्र विद्यार्थियों के लिए नए छात्रावास और आवासीय विद्यालय बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने पिछले चार सालों में राज्यभर में 59 छात्रावासों का निर्माण करवाया है। जबकि आगामी साल में 36 छात्रावास बनाने की योजना है।

#### 37 आवासीय विद्यालय

राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में 37 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों समेत अन्य पात्र प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वच्छ एवं अच्छे वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

**कोविड-19 पीड़ित परिवारों के लिए सरकार का संवेदनशील कदम**

## राजस्थान में कोरोना सहायता योजना के तहत ₹187.58 करोड़ की मदद

कोविड-19 महामारी ने कई परिवारों के मुखिया को छीन लिया जिससे परिवार के सामने जीवनयापन और बच्चों के लालन-पालन एवं पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया। ऐसे समय में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना अनेक प्रभावित परिवारों के लिए एक बड़ा संबल बनकर आई। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए 25 जून, 2021 से मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में 247 अनाथ बच्चों, विधवा श्रेणी में 13,567 महिलाओं तथा 9024 विधवा महिलाओं के बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है। योजना में अभी तक कुल 187.58 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है।

योजना के तहत कोविड-19 महामारी के कारण हुए अनाथ बालक/बालिकाओं को तात्कालिक सहायता के रूप में एक-एक लाख रुपए की सहायता एकमुश्त दी गई। वहीं, 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपए प्रतिमाह एवं 2000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

कोविड-19 महामारी के कारण हुई विधवा महिला को 1 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता के साथ ही 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है। साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए प्रतिमाह और 2000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। वहीं, राजस्थान सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा भी की है।

#### मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना

- 187.58 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। 247 अनाथ बच्चों, 13,567 विधवाओं, 9024 विधवा महिलाओं के बच्चे लाभान्वित।
- अनाथ बालक/बालिकाओं को एक लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपए प्रतिमाह सहायता देय।
- विधवा महिला को 1 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देय। विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए प्रतिमाह देय।

**तीन योजनाओं को मिले गोल्ड और सिल्वर अवॉर्ड...**

## राज्य सरकार की योजनाओं में नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान

राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में नवाचार के लिए इस साल राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। सम्मान में डिजीटल सर्टिफिकेट एवं साइटेशन प्रदान किया गया। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय आधिकारिता विभाग ने यह सम्मान प्राप्त किया।

विभाग की तीन महत्वपूर्ण योजनाओं को यह अवॉर्ड मिले। पालनहार योजना को गोल्ड अवॉर्ड, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को सिल्वर अवॉर्ड और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवॉर्ड से नवाजा गया। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का इस्तेमाल कर तकनीकी नवाचारों के माध्यम से योजनाओं का फायदा लाभार्थियों को पहुंचाने के लिए सुविधाओं का सरलीकरण और डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

**उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में समय से भुगतान कराने के उद्देश्य से आवेदन एवं प्रक्रिया में सरलीकरण कर एवं तकनीक का उपयोग कर उसे विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान एवं सुविधाजनक बनाया गया है। ताकि छात्रवृत्ति जल्दी से जल्दी स्वीकृत होकर विद्यार्थी को मिल सके और वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके।**

पालनहार योजना को डिजिटलीकरण, डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर, ऑनलाइन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए पारदर्शी तरीके से संचालित किया जा रहा है। इस योजना में भी पेंशन योजना की तर्ज पर केंद्रीयकृत प्रणाली के माध्यम से निदेशालय स्तर से ही बिल बनाकर सिंगल ट्रेजरी के जरिए भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

## बालिकाओं के लिए निःशुल्क स्कूटी की संख्या बढ़ाकर 30 हजार की

राजस्थान सरकार ने बालिकाओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत पात्र बालिकाओं को स्कूटी का वितरण किया जाता है। राज्य सरकार ने अब इन योजनाओं के अंतर्गत बालिकाओं को उपलब्ध कराई जा रही स्कूटियों की संख्या को 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दिया है।

गौरतलब है कि पात्र छात्राओं को 12वीं कक्षा में अधिक अंकों के लिए प्रोत्साहित करने एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत अब तक करीब 4 हजार स्कूटी का वितरण किया जा चुका है। वहीं, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से स्कूटी एवं आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इस योजना के तहत अब तक करीब 2500 स्कूटी वितरित की गई हैं और लगभग पांच हजार छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी गई है।

### 6250 दिव्यांगजनों को मिलेगी स्कूटी

**कॉलेज** जाने वाले विशेष योग्यजन छात्रों एवं स्वरोजगार से जुड़े विशेष योग्यजनों के आवागमन को आसान बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत पात्र विशेष योग्यजन को निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूटियां खरीदने के लिए 54.33 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस राशि से वर्ष 2023-24 के लिए 5 हजार और गत वर्ष वितरण में शेष रहीं 1,250 स्कूटियों सहित कुल 6 हजार 250 स्कूटियां क्रय की जाएंगी।

**मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं: बच्चों का भविष्य निखर रहा...**

## 26 लाख विद्यार्थियों को ₹3100 करोड़ की सहायता

राजस्थान के मूल निवासियों के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिससे मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत वर्तमान सरकार द्वारा 26 लाख विद्यार्थियों को 3100 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।

#### प्रक्रिया को सरल बनाया

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में समय से भुगतान कराने के लिए राजस्थान सरकार ने आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया है। तकनीक का उपयोग कर उसे विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान और सुविधाजनक बनाया गया है, ताकि छात्रवृत्ति जल्दी से जल्दी स्वीकृत होकर विद्यार्थी को मिल सके और वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके।

#### यह छात्रवृत्ति योजनाएं शामिल

- अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- अति पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)
- अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

**महंगाई की मार से राहत...**

## 1.08 करोड़ परिवारों को निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट

प्रदेश के लगभग 1.08 करोड़ परिवारों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से जुड़े परिवारों के लिए यह योजना लागू की है। इन परिवारों को माह के राशन के साथ ही यह पैकेट दिया जाएगा।

राशन की दुकान पर राशन की तरह ही बायोमैट्रिक तरीके से यह अन्नपूर्णा फूड किट दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा लगाए गए महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद योजना का लाभ लिया जा सकता है।

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने हाल ही में सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की और योजना को शीघ्र शुरू करने के लिए जरूरी तैयारियों के साथ दिशा-निर्देश दिए। राज्य सरकार इस योजना पर एक वर्ष में 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक का खर्च वहन करेगी।

#### जिला स्तरीय समितियां गठित

**जिला** कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्ता का निर्धारण किया जाएगा। जिला कलेक्टर के निर्देशन में पात्र लाभार्थियों को उचित मूल्य दुकानों पर पोश मशीन के द्वारा निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित होंगे।

#### फूड पैकेट में यह खाद्य सामग्री

- एक लीटर सोयाबीन रिफाइन्ड तेल
- एक किलो आयोडाइज्ड नमक
- एक किलो चीनी
- एक किलो चना दाल
- 100 ग्राम धनिया पाउडर
- 100 ग्राम मिर्च पाउडर
- 50 ग्राम हल्दी पाउडर

▪ स्पेशल इनिशिएटिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

## शहरी क्षेत्रों के परिवारों को भी दे रहे हैं रोजगार की गारंटी

*देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए यूपीए सरकार के समय मनरेगा शुरू की गई थी। मनरेगा के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले और देशभर में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार के अवसर आसानी से सुलभ होने लगे। इससे जीवन स्तर में भी सुधार आया। कोरोना के दौरान जब रोजगार का संकट बढ़ा तो यही योजना वरदान साबित हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला लिया गया। इस योजना से राज्य के शहरी क्षेत्र में निवासरत परिवारों को भी जीवन यापन करने में मदद मिल रही है।*

**–अशोक गहलोत,** मुख्यमंत्री, राजस्थान

### लाभार्थियों को राज्य सरकार दे रही है बिना ब्याज के 50 हजार का ऋण..

## स्वरोजगार का आधार बनी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

**राजस्थान** सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेन्डर और सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्रता की अधिकतम आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है। साथ ही योजना की अवधि को भी 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में 2.37 लाख आवेदकों को 662 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है।

इस योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेण्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी आदि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देकर पुर्नस्थापित करना है। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। लाभार्थी ऋण का भुगतान 12 से 18 महीने की अवधि के अंदर कर सकता है। ऋण राशि में से 25 हजार रुपए तक का पुर्नभुगतान चौथे से 15वें माह तक 12 समान मासिक किश्तों में किया जा सकता है। वहीं 25 हजार से अधिक व 50 हजार तक 18 मासिक किश्तों में पुर्नभुगतान किया जा सकता है।

## लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों के जीवन को मिली नई दिशा

**इंदिरा** गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना अनेक लोगों के जीवन को एक नई दिशा दे रही है। इस योजना ने खासकर ऐसे युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया है जो कोरोना लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए थे। एक ऐसा ही उदाहरण आमेर निवासी संगीता सैनी का है। उन्हें योजना के तहत 50 हजार का ऋण मिला। संगीता बताती हैं कि वे कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन से बेरोजगार हो गई थीं। ब्यूटी पार्लर और कॉस्टमेटिक का काम बंद होने से आर्थिक समस्या पैदा हो गई।

उस समय कोई भी रिश्तेदार पैसे उधार देने की स्थिति में नहीं था। बैंक में भी बिना ब्याज के ऋण नहीं मिलता। लेकिन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में बिना ब्याज का ऋण मिलने और काम फिर से शुरू होने से उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। वे बताती हैं कि लॉकडाउन के बाद उन्होंने सोचा नहीं था कि काम फिर से शुरू हो पाएगा। लेकिन इस योजना से उनका काम आसानी से शुरू हो गया।

### राजस्थान में रोजगार की गारंटी

**राजस्थान में बेरोजगारी पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। राज्य के शहरों में जरूरतमंद लोगों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बेहद उपयोगी साबित हो रही है...**

# अब शहर के जरूरतमंद परिवारों को भी मिल रहा 125 दिन का रोजगार

**7 लाख** से अधिक सदस्य योजना से जुड़ चुके हैं प्रदेश में।



**18-60** वर्ष के व्यक्ति को योजना के तहत मिलता है रोजगार।

**शहरी** क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत इन परिवारों को एक वर्ष में 125 दिन का गारंटीड रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 के दौरान मनरेगा की उपयोगिता को देखते हुए शहरी क्षेत्रों के लिए सितंबर 2022 में शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा था। लेकिन एक अप्रैल 2023 से इसमें 25 दिवस और बढ़ा दिए गए हैं। यह देश की इस तरह की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है।

शहरी बेरोजगारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने पर राजस्थान सरकार करीब 1100 करोड़ रुपए का व्यय करेगी। पिछले साल योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था।

योजना में पात्र परिवारों को सूचीबद्ध कर जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं। आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना आवश्यक है। जन आधार कार्ड न होने पर सबसे पहले जन-आधार नामांकन करवाना होता है।

### घर के आस-पास कार्य मिल रहा

योजना में पात्र व्यक्ति (अर्द्धकुशल व अकुशल) को शहर के सौंदर्यीकरण, जल संरक्षण, स्वच्छता व सेनीटेशन, वृक्षारोपण, उद्यानिकी, नर्सरी आदि में काम दिया जाता है। काम करने वाले महिला व पुरूष श्रमिकों को समान दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। विशेष बात यह है कि इस योजना से पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है। उन्हें भी अलग-अलग कार्यों के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और रोजगार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में लोगों को उनके निवास स्थान के आस-पास ही रोजगार दिया जा रहा है जिससे उन्हें काम के लिए दूर नहीं जाना पड़ता।

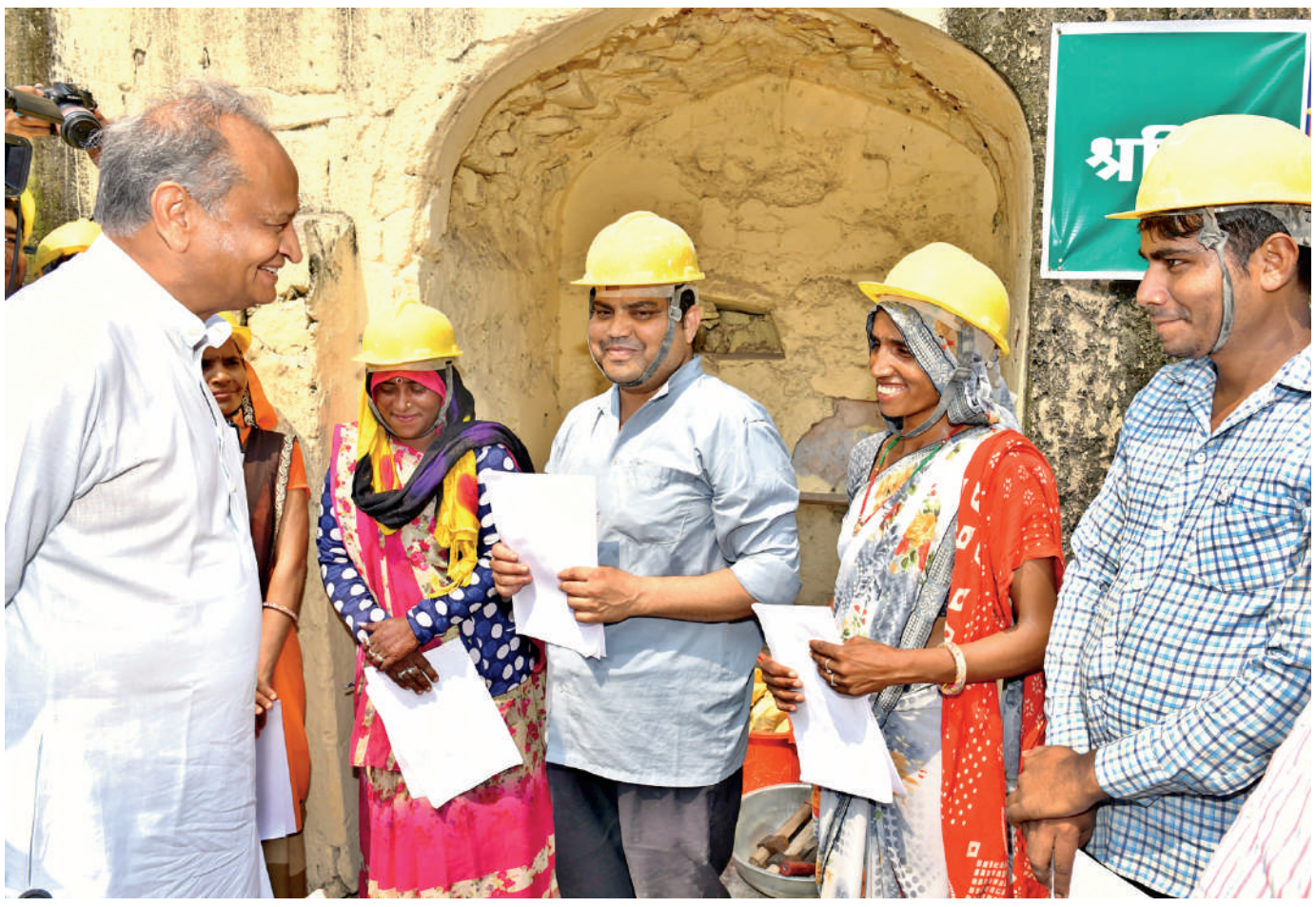



**भुगतान सीधे लाभार्थी के अकाउंट में**

**योजना** के तहत कार्यों का भुगतान जन-आधार से लिंक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 15 दिन में किया जा रहा है। इसके अलावा कार्यस्थल पर लाभार्थी को सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही शिकायतों के निवारण का प्रावधान भी योजना में शामिल है। योजना में सामान्य प्रकृति के कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित कराने की सामग्री लागत व पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 और विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए सामग्री लागत व पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75:25 रखा गया है।

### मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना...

## मनरेगा में 100 दिन पूरे होने पर मिल रहा 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार

**ग्रामीण** क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम करने वाले ग्रामीणों को राजस्थान सरकार द्वारा 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने कोरोनाकाल के दौरान मनरेगा की उपयोगिता को देखते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले सभी लाभार्थियों को राजस्थान सरकार द्वारा 25 दिन का और सहरिया, कथौड़ी एवं विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

गौरतलब है कि मनरेगा सामाजिक सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। मनरेगा ने कोरोनाकाल एवं अकाल जैसे हालात में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान कर आर्थिक संबल दिया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार प्रदान कर शहरी क्षेत्रों की ओर ग्रामीणों के पलायन को रोका है।

### मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में सीटों की संख्या बढ़ी

## अब प्रदेश के 30 हजार विद्यार्थियों को मिल रही निःशुल्क कोचिंग

**राजस्थान** सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत लाभान्वितों की संख्या में इस वर्ष बढ़ोतरी की है। योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार की गई है। राज्य सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-22 में योजना की शुरुआत की थी।

### सीटों का दायरा बढ़ा

योजना में 12 पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। इसके लिए 30 हजार सीटों का श्रेणीवार वर्गीकरण है। इनमें यूपीएससी की 600, आरएएस की 1500, सब-इंस्पेक्टर या लेवल-10 के ऊपर की भर्तियां 2400, रीट 4500, लेवल पांच से लेवल 10 तक की भर्तियां 3600, कांस्टेबल भर्ती 2400, मेडिकल व इंजीनियरिंग की 12000, क्लैट व अन्य 3000 सहित कुल 30 हजार सीट सम्मिलित हैं। योजना के तहत सिविल सेवा आरएएस एंड एलाइड, मेडिकल/इंजीनियरिंग, क्लेट,सीए, सीएस सीएमए परीक्षाओं की कोचिंग संस्थाओं से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को अन्य शहर से आकर कोचिंग करने पर आवास, भोजन आदि खर्च के लिए 40 हजार रुपए प्रति वर्ष भी प्रदान किया जाता है।

### योजना के लिए योग्यता इस तरह है

- योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग व विशेष योग्यजन, जिनके परिवार की वार्षिक आय सीमा 8 लाख से कम या माता-पिता राजकीय सेवा में हो तो पे मैट्रिक्स का लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों, पात्र हैं।
- अभ्यर्थियों का चयन 10वीं और 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होता है।

### इलाज के लिए मिली तीन लाख रुपए की आर्थिक सहायता

## सिलिकोसिस नीति से कैलाश और उनके परिवार को मिला नया जीवन

**सिलिकोसिस** पीड़ित रोगियों और उनके परिवार के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजस्थान सिलिकोसिस नीति-2019 संजीवनी साबित हो रही है। इस नीति के तहत राज्य सरकार सिलिकोसिस बीमारी का दंश झेल रहे प्रदेश के श्रमिकों को इलाज के लिए तुरंत आर्थिक मदद दे रही है, साथ ही पीड़ित की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक संबल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के खनन श्रमिकों के कल्याण और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस नीति को लागू करने का संवेदनशील निर्णय लिया था।

कैलाश कुमार सैनी

दौसा जिले के कंदौली गांव निवासी कैलाश कुमार सैनी के लिए यह नीति बड़ा आर्थिक संबल लेकर आई। वे पिछले 30 सालों से मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। उनके परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है। अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। उन्होंने बताया कि सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने के बाद उनके लिए शारीरिक श्रम करना संभव नहीं था। पर्याप्त आमदनी के अभाव में वे ना केवल परिवार के भरण-पोषण में, बल्कि स्वयं का इलाज कराने में भी असहाय महसूस कर रहे थे। इलाज का खर्च बहुत अधिक था। ऐसी विषम परिस्थितियों में उनके 18 वर्षीय बेटे को पढ़ाई छोड़ मजदूरी का कार्य शुरू करना पड़ा।

कैलाश के बेटे शिवराम बताते हैं कि उनके पिता पिछले कई सालों से इस बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित हैं। विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारणवश उन्होंने इलाज की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन राजस्थान सिलिकोसिस नीति से उनके पिता व परिवार को नया जीवनदान मिला। **नीति के अंतर्गत उनके परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत मिल गई, जिसकी वजह से उनके पिता का इलाज संभव हो पाया।** इस आर्थिक मदद से उनके पूरे परिवार को आर्थिक संबल भी प्राप्त हुआ है।

### राजस्थान सिलिकोसिस नीति एक नजर में

- नीति के तहत अब तक 768.54 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी।
- सिलिकोसिस रोग के प्रामाणीकरण पर रोगी को 3 लाख रुपए देय।
- रोगी की मृत्यु पर परिवारजनों को 2 लाख रुपए देय।
- सिलिकोसिस पीड़ित को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देय।

### विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना

## एक लाख युवाओं को मिलेगा संबल

**राज्य** सरकार प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर अहम फैसले ले रही है। इसी क्रम में विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना तैयार की गई है। इस योजना में विभिन्न श्रेणियों के एक लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक उपकरण, किट, सिलाई मशीन आदि खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। इनमें राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण बोर्ड, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से संचालित हस्तशिल्प योजना, राजीविका/एनयूएलएम-महिलाएं तथा श्रम विभाग-कामगार द्वारा चिह्नित दस्तकार शामिल होंगे। इससे इन वर्गों के लोगों को स्वरोजगार के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

**▪ स्पेशल इनिशिएटिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग**